a user and Rs- 200|- per yea$_r$ for a dealer. Government not aware of any illegal use. However action can be taken under the provisions of Indian Telegraph Act, if any case of illegal use comes to notice.

सीमेंट डीलरों को सम्हलाई कमीशन

@1921. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में "लेवी" सीमेंट की बिक्री करने पर सीमेंट के डीलरों को प्रति बोरी कितना सम्हलाई कमीशन दिया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली के शाहदरा और कालका जी क्षेत्र के सीमेंट डीलरों को ढुलाई उच्च प्रभार की वजह से हानि हो रही है ;

(ग) क्या सरकार "लेवी" सीमेंट के इन डीलरों को दिये जाने वाले सम्हलाई कमीशन को बढ़ाने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के खंड 10 के अनुसार, सीमेंट का अधिकतम मूल्य जिस पर किसी डीलर (थोक अथवा खुदरा) द्वारा सीमेंट बेचा जा सकता है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा और कोई भी डीलर थोक अथवा खुदरा) इस अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर सीमेंट नहीं बेचेगा । अधिकतम मूल्य का निर्धारण करने में राज्य सरकार (i) सीमेंट नियंत्रण आदेश के खंड 8 के अन्तर्गत निर्धारित किए गए मूल्य अर्थात् सीमेंट की संबंधित किस्म का एफ. ओ. आर. मूल्य, (ii) सम्हलाई (पैकिंग या कन्टेनर से संबंधित प्रभारों सहित) और ढुलाई प्रभारों, (iii) गोदाम प्रभारों, (iv) भंडारकर्ताओं के लाभांश (v) स्थानीय करों, यदि कोई हों, (vi) अतिरिक्त मार्ग परिवहन प्रभारों, जहां स्वीकार्य हों, पर उचित ध्यान देगी । बशर्ते की वस्तुओं की सम्हलाई (पैकिंग कन्टेनर से संबंधित प्रभारों सहित) तथा ढुलाई प्रभारों, गोदाम प्रभारों और भण्डार कर्ताओं के लाभांश के संबंध में निर्धारित किया जाने वाला कुल प्रभार 50 रु० प्रति टन से अधिक नहीं होगा ।

दिल्ली प्रशासन किसी सीमेंट डीलर को प्रति मी. टन निम्नलिखित कमीशन/ प्रभार की अनुमति दे रहा है :—

	रु०
1. रेलवे स्टेशन पर सम्हलाई प्रभार . .	2.50
2. लदान/उतरान तथा गोदामों में रखने के प्रभारों सहित ढुलाई प्रभार . .	12.00
3. गोदाम किराया . .	2.50
लाभांश . .	11.00
कुल .	28.00

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) से (ङ) दिल्ली के सीमेंट भण्डारकर्ताओं ने सूची की बिक्री के लिए

@Previously Unstarred Question 1665 transferred from the 11th March, 1988.

आकस्मिक प्रभारों को बढ़ाने की मांग की है किन्तु दिल्ली प्रशासन द्वारा इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

रसोई गैस सिलेण्डरों के रिसाव का पता लगाने के लिए प्लास्टिक फ्लास्क दिया जाना

1922. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० ओ० सी०, बी०पी०सी०, एच० पी० पी० सी० नामक तेल कम्पनियों द्वारा अपने वितरकों को उपभोक्ताओं के लाभार्थ छोटे प्लास्टिक फ्लास्क वितरित किये जा रहे हैं जिससे कि सिलेंडरों और रेगुलेटरों से गैस के रिसाव का पता लगाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वितरक इन छोटे प्लास्टिक फ्लास्कों को उपभोक्ताओं को नहीं दे रहे हैं बल्कि बेच रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते ।

Destruction of forests doe *to* open cast mining in Makum Coal Fields, Assam

1923. DR. NAGEN SAJKJA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the Makum Coal Fields of Assam there are only about 16 million tonnes of coal In Ota upper ridfiffl of the hills and *e remaining about 210 million tonnes are lying below the hills;

(b) if so, what are the reasons for which the open cast mining method instead of applying underground method is being applied by which th$_e$ green forests are being destroyed, ecologkal imbalance in the are$_a$ i$_s$ being caused and pollution of water and soil is also being caused; and

(c) whether Government would direct the authorities to stop this open cast me thod immediately?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF COAL IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI C. K. JAFFAR SHARIEF): (a) to (c) As per assessment made by the Geological Survey of India unto 31.12.87, the! coal reserves in the Malcum coal-field of Assam are 235.66 million tonnes. Out of these reserves only a small portion can be mined through opencast methods. The remaining part have to be exploited by underground mining methods.

Presently coal mining on a limited scale is being done in the Makum coalfied through a combination of opencast and underground methods. This is necessary to meet the coal demand of the region. To protect and safeguard environment form the impact of opencast mining, some measures have been initiated and some more have been suggested. Plantation activities form a part of these measures.

With the adoption of suitable mining technology the contribution of underground mining to coal production in Makum coal field would increase and the contribution of opencast mining would come down.